

पर्वी डिक्री
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी, जिला
हनुमानगढ़

पीठारसीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

0-न0 319/2025

शिशपाल पि0 इन्द्राज जाति जाट निवासी डबलीखुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

भीमराज

वादीगण

बनाम्

दिमला पत्नी इन्द्राज जाति जाट निवासी डबली खुर्द तहसील टिब्बी
सुशीला पुत्री इन्द्राज जिला हनुमानगढ़।

अनिल पुत्र रुपराम

कमलेश पुत्र रुपराम

रुपराम पुत्र रामलाल

तहसीलदार राजस्व. टिब्बी।



प्रतिवादीगण

डिक्री

दिनांक 31/7/25


आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री करनैलसिंह व प्रतिवादी वकील महावीर वर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है क. वादीगण सं० 1 व 2 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी- चक नं० 3 डीबीएल के खाता सं० 2/3 में अंकित 2.024 है० आराजी तथा चकनं० 5 डीबीएल के खाता सं० 2/3 के प०न० 200/344 मु० 17 किलानं० 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22. प०न० 200/345 मु० 18 किलानं० 1,2,3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20, 21/2/.202, 22/2/.202, 23/2/.203, प०न० 200/346 मु० 31 किलानं० 1,9,10,11,12,20,21 ख. प्रतिवादीगण सं० 3 ता 5 को ब०हि०ब० प्राप्त आराजी:- चकनं० 5 डीबीएल के खाता सं० 2/3 के प०न० 197/344 मु० 14 किलानं० 18,19,20,23 इसी अनुसार राजस्व रिकोर्ड में अंकन कर चकनं० 3 डीबीएल के खाता सं० 2/3 व चकनं० 5 डीबीएल के खाता सं० 2/3 में से इन्द्राज का नाम कलमंजन किया जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 3 ता 5 का खाता तकसीम कर रकमराज अलग से कायम किया जावे। तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एवं जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम

जकाते
के बा
रकबी

न्यायालय का रथगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।
खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 31/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से
जारी की गई।




(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर टिब्बी।